FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. District (जिला): ACB DISTRICT   P.S. (थाना): C.P.S Jaipur   Year (वर्ष): 2024

2. FIR No. (प्र.सू.रि.सं): 0133   Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय): 05/07/2024 19:33 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1. Day(दिन): दरमियानी दिन   Date From (दिनांक से): 01/07/2024   Date To (दिनांक तक): 04/07/2024

Time Period (समय अवधि): पहर   Time From (समय से): 10:00 बजे   Time To (समय तक): 17:53 बजे

(b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 05/07/2024   Time (समय): 18:00 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) : Entry No. (प्रविष्टि सं.): 001   Date & Time (दिनांक एवं समय) 05/07/2024 19:33:58 बजे

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी): NORTH, 95 किमी   Beat No. (बीट सं.) : NOT APPLICABLE

(b)Address(पता): SHAMSHAN GHAT PAR JANE WALI ROAD, PATWARI KA RENTAL OFFICE/SHOP, MANDHAN

(c In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)

Name of P.S (थाना का नाम):   District(State) (जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name(नाम): RAJESH

(b) Father's Name (पिता का नाम): SOHAN SINGH

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष): 1973 (d)Nationality(राष्ट्रीयता): INDIA

(e) UID No(यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):
Date of Issue (जारी करने की तिथि): Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address(पता):

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	DHARAN KI DHANI, BAWAL, बावल, रेवाड़ी, हरियाणा, INDIA
2	स्थायी पता	DHARAN KI DHANI, BAWAL, बावल, रेवाड़ी, हरियाणा, INDIA

(j) Phone number (दूरभाष न.): Mobile (मोबाइल न.):

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	SUMER		पिता:YOGENDRA	1. KATHUWAS,MANDHAN, कोटपूतली-बहरोड़,RAJASTHAN, INDIA

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		8,000.00

10. Total value of property stolen(In Rs/-)
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 8,000.00

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

वाक्यात इस प्रकार है कि दिनांक 01.07.2024 को कार्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अलवर प्रथम, अलवर पर श्री राजेश पुत्र श्री सोहन सिंह, जाति यादव, उम्र 51 साल, निवासी ग्राम धारण की ढाणी, तहसील व थाना बावल, जिला रेवाडी (हरियाणा) ने उपस्थित होकर मन उप अधीक्षक पुलिस महेन्द्र कुमार, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों, अलवर प्रथम, अलवर को कम्प्यूटर से टाईपशुदा एक रिपोर्ट इस आशय कि पेश की थी, कि " सेवामें, श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, एसीबी चोकी अलवर। विषय- रिश्वतखोर पटवारी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकडवाने बाबत। महोदय, निवेदन है कि मेरी माताजी श्रीमति छोटा देवी पत्नि श्री सोहन सिंह जाति अहीर के नाम से हमारे गॉव बीघान जाट में कृषि भूमि है मेरी माता जी श्रीमति छोटा देवी द्वारा दिनांक 28.05.2024 को खसरा नं0 409, 410, 413, 441, 442, 440 को जरिये दान पत्र मेरे नाम कर दिया उक्त दान पत्र तहसील मांढण में रजिस्टर्ड करवाया गया था। उक्त दान पत्र मूल को मेरे नाम से इंतकाल खोलने के लिए हमारे पटवारी पटवार हल्का सांतो को दिनांक 03.06.2024 को दे दिया गया था। पटवारी द्वारा मुझे दिनांक 20.06.2024 को होने वाली मिटिंग में मेरा इंतकाल खुल जायेगा। लेकिन 20.06.2024 की मिटिंग के बाद भी मेरा इंतकाल नही खुला तो मैं पटवारी से जाकर मिला तो पटवारी ने मेरा इंतकाल खोलने की एवज में 15 हजार रूपये रिश्वत मांग रहा है मैं पटवारी को रिश्वत नही देना चाहता हॅू व पटवारी को रिश्वत देते हुए रंगे हाथ पकडवाना चाहता हॅू। मैं अपना आधार कार्ड की प्रति व दानपत्र की प्रति पेष कर रहा हॅू। कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करे। हस्ता/- प्रार्थी राजेश पुत्र श्री सोहन सिंह जाति यादव उम्र 51 साल निवासी ग्राम धारण की ढाणी तहसील बाबल जिला रेवाडी (हरियाणा) मो0 नं0 " कार्यवाही पुलिस दिनांक 01.07.2024 को समय 10.00 ए0एम0 पर कार्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अलवर प्रथम, अलवर पर मन् उप अधीक्षक पुलिस, महेन्द्र कुमार के सम्मुख परिवादी श्री राजेश पुत्र श्री सोहन सिंह, जाति यादव, उम्र 51 साल, निवासी ग्राम धारण की ढाणी, तहसील बावल, जिला रेवाडी (हरियाणा) उपस्थित होकर परिवादी श्री राजेश ने एक टाईपशुदा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। परिवादी द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र का अवलोकन कर परिवादी राजेश को पढकर सुनाया गया तथा परिवादी से दरियाफ्त की गई तो परिवादी श्री राजेश ने प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की ताईद करते हुए बताया कि मेरी माताजी श्रीमति छोटा देवी पत्नि श्री सोहन सिंह जाति अहीर के नाम से हमारे गॉव बीघान जांट में कृषि भूमि है मेरी माता जी श्रीमति छोटी देवी द्वारा दिनांक 28.05.2024 को खसरा नं0 409, 410, 413, 441, 442, 440 को जरिये दान पत्र मेरे नाम कर दिया उक्त दान पत्र तहसील मांढण में रजिस्टर्ड करवाया गया था। उक्त दान पत्र मूल को मेरे नाम से इंतकाल खोलने के लिए हमारे पटवारी पटवार हल्का सांतो को दिनांक 03.06.2024 को दे दिया गया था। पटवारी द्वारा मुझे दिनांक 20.06.2024 को होने वाली मिटिंग में मेरा इंतकाल खुल जाने के लिए कहा, लेकिन 20.06.2024 की मिटिंग के बाद भी मेरा इंतकाल नही खुला तो मैं पटवारी से जाकर मिला तो पटवारी ने मेरा इंतकाल खोलने की एवज में 15 हजार रूपये रिश्वत मांग रहा है मैं पटवारी को रिश्वत नही देना चाहता हॅू व पटवारी को रिश्वत देते हुए रंगे हाथ पकडवाना चाहता हॅू। मैं अपना आधार कार्ड की प्रति व दानपत्र की प्रति पेष कर रहा हॅू। कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करे। परिवादी ने यह भी बताया कि मेरी पटवारी हल्का सांतो, तहसील मांढण, जिला कोटपूतली-बहरोड से कोई रजिंश या दुश्मनी नही है तथा कोई उधार लेन-देन भी बकाया नही है। परिवादी श्री राजेश ने उक्त प्रार्थना पत्र स्वयं द्वारा बोल-बोल कर कस्बा मांढण में एक ई-मित्र की दुकान पर कम्प्यूटर से टाईप करवाकर लाना तथा उक्त प्रार्थना पत्र पर स्वयं के हस्ताक्षर होना बताया तथा प्रार्थना पत्र में लिखे हुये तथ्य सही होना बताया। दौराने पूछताछ परिवादी श्री राजेश से पटवारी पटवार हल्का सातों, तहसील का नाम पूछा गया तो परिवादी ने बताया कि उसको पटवारी का नाम ध्यान नही है जानकारी करके बता दूंगा। तत्पश्चात परिवादी ने पटवारी, पटवार हल्का सातों, तहसील मांढण, जिला कोटपूतली-बहरोड का नाम मालूम कर उक्त पटवारी का नाम सुमेर सिंह होना बताया। परिवादी श्री राजेश के उक्त प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत परिवादी के आधार कार्ड की छायाप्रति एव उसकी माताजी श्रीमती छोटी देवी द्वारा परविदी के पक्ष में उप पंजीयक कार्यालय मांढण में करवाये गये रजिस्टर्ड दानपत्र एवं ई-स्टाम्प रसीद की छायाप्रति पर परविदी के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल कार्यवाही किया गया। परिवादी द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त प्रार्थना पत्र एवं की गई मजीद पूछताछ से मामला रिश्वत के लेन-देन का पाया पाया जाने पर समय 11.00 ए0एम0 पर मन उप अधीक्षक पुलिस ने कार्यालय की अलमारी से श्री रामसिंह कानि0 549 से विभागीय डिजिटल वाईस रिकॉर्डर निकलवाकर उक्त डिजिटल वाईस

रिकार्डर में नया एस.डी. मैमोरी कार्ड Sandisk 32 GB लगाकर डिजिटल वाईस रिकार्डर परिवादी श्री राजेश को चलाने व बन्द करने की विधि समझाकर परिवादी के समक्ष श्री राम सिंह कानि0 549 को सुपुर्द किया जाकर परिवादी श्री राजेश एवं श्री राम सिंह कानि0 549 को आवश्यक हिदायत देकर रिश्वत की मांग के गोपनीय सत्यापन हेतु समय 11.15 ए0एम0 पर उक्त दोनो को संदिग्ध आरोपी के पास मांढण जाने हेतु रवाना किया गया था। दिनांक 01.07.2024 को समय 06.30 पी0एम0 पर रिश्वत मांग सत्यापन हेतु परिवादी के हमराह गया हुआ श्री रामसिंह कानि0 549 ब्यूरों कार्यालय में मन उप अधीक्षक पुलिस के समक्ष उपस्थित आया और कानि0 ने अपने पास से रिश्वत मांग सत्यापन की वार्ताओ का रिकार्डशुदा डिजिटल वाईस रिकार्डर मन उप अधीक्षक पुलिस को प्रस्तुत किया। तत्पश्चात श्री रामसिंह कानि0 549 ने बताया कि आज मैं व परिवादी श्री राजेश ब्यूरो कार्यालय अलवर से रवाना होकर समय 01.55 पी0एम0 पर कस्बा मांढण में स्थित संदिग्ध आरोपी श्री सुमेर, पटवारी पटवार हल्का सातों, तहसील मांढण के किराये के कार्यालय के पास पहुंचे, जहां पर मैंने समय 01.57 पी0एम0 पर अपने पास से ब्यूरो का डिजिटल वाईस रिकॉर्डर चालू कर परिवादी श्री राजेश को सुपुर्द किया, जिसको परिवादी अपने साथ लेकर पटवारी, पटवार हल्का सातों के कस्बा मांढण में स्थित किराये के कार्यालय/दुकान के अन्दर गया और मैं पटवारी पटवार हल्का सांतो के उक्त कार्यालय के सामने में अपनी पहचान छुपाते हुये परिवादी पर निगरानी रखते मुकीम हुआ। समय करीब 02.30 पी0एम0 पर परिवादी श्री राजेश मेरे पास आया और अपने पास से ब्यूरो का डिजिटल वाईस रिकॉर्डर चालू हालत में मुझे प्रस्तुत किया, जिसको मैंने बन्द कर अपने पास सुरक्षित रख लिया। तत्पश्चात परविदी श्री राजेश ने मुझे बताया कि " मैं, श्री सुमेर, पटवारी, पटवार हल्का सांतो के पास उसके किराये के कार्यालय/दुकान पर गया, जहा पर मुझे हमारे पटवार हल्का सातों का पटवारी श्री सुमेर मौजूद मिला। जिससे मैंने मेरी माताजी छोटी देवी द्वारा गॉव बीघान जाट में उसके नाम की कृषि भूमि का मेरे पक्ष में किये गये दानपत्र का नामान्तकरण खोलने के सम्बन्ध में बातचीत की तो श्री सुमेर, पटवारी ने मेरा नामान्तकरण खोलने की एवंज में 10 हजार रू0 रिश्वत की मांग कर 8000 रू0 रिश्वत प्राप्त करने के लिये सहमत हो गया और पूर्व में मेरे से 1000 रू0 रिश्वत के प्राप्त करना स्वीकार किया। मेरे व संदिग्ध आरोपी श्री सुमेर पटवारी के मध्य हुई सभी वार्तालाप को मैंने ए0सी0बी0 के टेप रिकार्डर में रिकार्ड कर लिया। परिवादी ने यह भी बताया कि मैं दुकान के अन्दर कुर्सी पर बैठे दाढी वाले जिस व्यक्ति से वार्तालाप कर रहा था वही दाढी वाला व्यक्ति श्री सुमेर, पटवारी, पटवार हल्का सातों, तहसील मांढण, जिला कोटपूतली-बहरोड है।" परिवादी ने यह भी बताया कि उसके पास संदिग्ध आरोपी श्री सुमेर, पटवारी को रिश्वत में दी जाने वाली राशी की उसके पास व्यवस्था नही है तथा उसको गॉव जाकर रिश्वत की राशी का इन्तजाम करना है तथा उसको फसल भुवाई भी करनी है। इसलिए अलवर नही चल सकता और रिश्वत राशी की व्यवस्था होने पर वह ब्यूरो कार्यालय अलवर में अग्रिम कार्यवाही हेतु उपस्थित हो जायेगा।" परिवादी द्वारा बताये गये उक्त तथ्यों से मैंने आपको जरिये वॉटसअप कॉल वार्ता कर उसी समय बता दिया था। आपके निर्देशानुसार मैं, परिवादी श्री राजेश को रिश्वत राशी की व्यवस्था होने पर अविलम्ब ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित होने एवं गोपनीयता बनाये रखने की हिदायत देकर उसे मांढण ही छोडकर मय रिश्वत मांग सत्यापन की रिकार्डशुदा वार्ताओं के डिजिटल वाईस रिकार्डर सहित ब्यूरो कार्यालय अलवर आ गया। मैंने परिवादी व उसके द्वारा बताये गये हुलिया दाढी वाले व्यक्ति संदिग्ध आरोपी श्री सुमेर पटवारी को उसके किराये के कार्यालय/दुकान में वार्ता करते हुये देखा है। मेरे द्वारा कस्बा मांढण में ऐलाने एवं खुफिया जानकारी की गई, तो पटवारी, पटवार हल्का सातों, तहसील मांढण, जिला कोटपूतली-बहरोड का नाम श्री सुमेर ही होना स्पष्ट ज्ञात हुआ। तत्पश्चात मन उप अधीक्षक पुलिस ने श्री रामसिंह कानि0 549 द्वारा रिश्वत मांग सत्यापन की रिकार्डरषुदा वार्ताओं के प्रस्तुत डिजिटल वाईस रिकार्डर को चालू कर सुना गया तो संदिग्ध आरोपी श्री सुमेर, पटवारी द्वारा परिवादी श्री राजेश का नामान्तकरण खोलने की एवज में 10 हजार रू0 रिश्वत की मांग कर 8,000 रू0 रिश्वत प्राप्त करने के लिये सहमत होना तथा 1000 रू0 रिश्वत राशी परिवादी से पूर्व में प्राप्त करना स्वीकार किया जाना पाया गया। तत्पश्चात मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा उक्त वार्ताओं के रिकार्डषुडा डिजिटल वाईस रिकार्डर को अपने पास सुरक्षित रखा गया। अग्रिम कार्यवाही परिवादी के ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आने पर दो स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष की जावेगी। दिनांक 04.07.2024 को समय 10.30 ए0एम0 पर श्री नरेन्द्र कुमार, सहायक उप निरीक्षक, भ्रनिब्यूरो, अलवर ने मन उप अधीक्षक पुलिस को अवगत करवाया कि "आज उसकी परिवादी श्री राजेश से जरिये मोबाईल वार्ता हुई है और परिवादी ने उसे बताया है कि संदिग्ध आरोपी श्री सुमेर, पटवारी उसे रिश्वत लेकर कस्बा मांढण में स्थित अपने किराये के कार्यालय पर मांढण बुलाया है तथा उसके बुखार जैसी हरारत हो रही है व उसके गॉव व आस-पास के ईलाके में बारिश हो रही है। यदि बारिश के मौसम में वह अलवर आयेगा तो अधिक बिमार हो सकता है। इसलिए आप ए0सी0बी0 की ट्रेपपार्टी को लेकर अलवर की तरफ मांढण कस्बा से पहले बहरोड रोड पर डाबडवास चौक पर आ जाये तथा वह रिश्वत राशी सहित डाबडवास चौक पर मौजूद मिल जायेगा।" चूंकि सहायक उप निरीक्षक द्वारा परिवादी से सम्बन्धित अवगत करवाये गये उक्त तथ्यों के अनुसार परिवादी ब्यूरो कार्यालय अलवर नही आ सकता। इसलिए परिवादी द्वारा बताये गये निर्धारित स्थान पर पहुंच कर अग्रिम कार्यवाही दो स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष अविलम्ब की जानी है। इस पर मन उप अधीक्षक पुलिस ने खनि-अभियन्ता, अलवर को पत्र जारी कर दो सरकारी कर्मचारी स्वतन्त्र गवाह तलब किये गये। जिस पर समय 11.30 ए0एम0 पर तलविदा गवाह श्री सचिन कुमार गुर्जर, निजी सहायक ग्रेड द्वितीय, कार्यालय खनि-अभियन्ता, अलवर एवं श्री जिनेश,

कनिष्ठ सहायक, कार्यालय खनि-अभियन्ता, अलवर, ब्यूरो कार्यालय अलवर में उपस्थित आये। तत्पश्चात समय 11.50 ए0एम0 पर मन उप अधीक्षक ने श्री भास्कर हैड कानि0 59 से विभागीय ट्रेपबाक्स में रखी कॉच की शीशीयां, चम्मच, किप आदि को साबुन पानी से साफ करवाकर ट्रेप बॉक्स में रखवाये गये। दिनांक 04.07.2024 को मन उप अधीक्षक पुलिस महेन्द्र कुमार, मय स्वतन्त्र गवाहा श्री सचिन कुमार गुर्जर, श्री जिनेश व ए0सी0बी0 जाब्ता श्री नरेन्द्र कुमार, सहायक उप निरीक्षक, श्री भास्कर हैड कानि0 59, श्रीमती सुनिता हैड कानि0 148, श्री हरिश चन्द शर्मा कानि0 503, श्री महेश कुमार कानि0 462, श्री रामजीत कानि0 206 मय ट्रेप बॉक्स मय सोडियम कार्बोनेट पाउडर, लैपटॉप प्रिन्टर, यू0पी0एस0, दिनांक 01.07.2024 की रिश्वत मांग सत्यापन की वार्ताओं का रिकार्डशुदा डिजिटल वाईस रिकार्डर एवं आवष्यक स्टेषनरी सामान के एक राजकीय वाहन से मय चालक श्री इन्द्रजीत के, एक प्राईवेट वाहन के तथा साथ ही श्री सुण्डाराम हैड कानि0 02 को कार्यालय से फिनोफ्थलीन पाऊडर की शीशी देकर मय मोटर साईकिल से वास्ते ट्रेप कार्यवाही बजानिब मांढण के लिये समय 01.30 पी0एम0 पर ब्यूरो कार्यालय अलवर से रवाना होकर समय 04.30 पी0एम0 पर मन उप अधीक्षक मय हमराहियान के कस्बा मांढण से पहले बहरोड रोड पर स्थित डाबडबास चौक पर पहुंचा, तो वहॉं पर एकांत जगह में रोड के साईड में परिवादी श्री राजेश, अर्टिका कार के साथ खडा मिला। जहॉं पर मन उप अधीक्षक पुलिस ने राजकीय वाहन व प्राईवेट वाहन को सडक के किनारे पर साईड में एकांत में खडा करवाया तथा साथ ही श्री सुण्डाराम हैड कानि0 02 से भी मोटरसाईकिल साईड में खडी करवाई। परिवादी श्री राजेश, मन उप अधीक्षक पुलिस के पास आया तथा परिवादी को सरकारी वाहन के अन्दर बैठाया गया और वाहन में मन उप अधीक्षक पुलिस के हमराह मौजूद गवाह श्री सचिन कुमार गुर्जर, निजी सहायक ग्रेड द्वितीय एवं श्री जिनेश, कनिष्ठ सहायक, कार्यालय खनि-अभियन्ता, अलवर का एवं परिवादी श्री राजेश का आपस में परिचय करवाया गया तथा दोनों गवाहान को परिवादी श्री राजेश द्वारा मन उप पुलिस अधीक्षक को दिनांक 01.07.2024 को ब्यूरो कार्यालय अलवर में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को पढवाया गया तथा दोनों गवाहान ने परिवादी श्री राजेश से उसके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में पूछताछ कर प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्य सही होना तथा संदिग्ध आरोपी पटवारी, पटवार हल्का सांतो, तहसील मांढण, जिला कोटपूतली-बहरोड का नाम परिवादी के बतायेनुसार श्री सुमेर सिंह होना स्वीकार कर अपने-अपने हस्ताक्षर किये। दोनों स्वतंत्र गवाहान से ट्रैप कार्यवाही में स्वतंत्र गवाह बनने की सहमति प्राप्त की गई। इसके बाद परिवादी श्री राजेश ने दोनों गवाहान के समक्ष मन उप अधीक्षक पुलिस को बताया कि साहब दिनांक 01.07.2024 को मैं व आपके कार्यालय का कर्मचारी श्री रामसिंह कानि0 ए0सी0बी0 कार्यालय अलवर से रवाना होकर समय 01.55 पी0एम0 पर कस्बा मांढण में स्थित संदिग्ध आरोपी श्री सुमेर, पटवारी, पटवार हल्का सातों, तहसील मांढण, जिला कोटपूतली-बहरोड के किराये के कार्यालय के पास पहुंचे, जहां पर आपके कर्मचारी श्री रामसिंह कानि0 ने समय करीब 01.57 पी0एम0 पर अपने पास से ए0सी0बी0 का टेपरिकॉर्डर चालू कर मुझे दिया था, जिसको मैं अपने साथ लेकर श्री सुमेर, पटवारी, पटवार हल्का सांतो के कस्बा मांढण में स्थित किराये के कार्यालय (दुकान) पर गया तो श्री सुमेर, पटवारी अपने किराये के कार्यालय (दुकान) के अन्दर कुर्सी पर बैठा हुआ मौजूद मिला। जिससे मैंने मेरी माताजी छोटी देवी द्वारा गॉव बीघान जाट में उसके नाम की कृषि भूमि का मेरे पक्ष में किये गये दानपत्र का नामान्तकरण खोलने के सम्बन्ध में पटवारी जी से बातचीत की तो श्री सुमेर, पटवारी ने मेरा नामान्तकरण खोलने की एवंज में 10 हजार रू0 रिश्वत की मांग कर 8000 रू0 रिश्वत प्राप्त करने के लिये सहमत हो गया और पूर्व में मेरे से 1000 रू0 रिश्वत के प्राप्त करना स्वीकार किया। दिनांक 01.07.2024 को रिश्वत मांग सत्यापन के समय मेरे व संदिग्ध आरोपी श्री सुमेर पटवारी के मध्य हुई सभी वार्तालाप को मैंने ए0सी0बी0 के टेप रिकार्डर में रिकार्ड कर लिया था। इसके बाद मैं आपके कर्मचारी श्री रामसिंह कानि0 के पास आकर ए0सी0बी0 का टेपरिकॉर्डर चालू हालत में श्री रामसिंह कानि0 को दिया था, जिसको श्री रामसिंह कानि0 बन्द कर अपने पास सुरक्षित रख लिया था। इसके बाद मैंने श्री रामसिंह कानि0 को यह भी बताया कि मैं दुकान के अन्दर कुर्सी पर बैठे दाढी वाले जिस व्यक्ति से वार्तालाप कर रहा था वही दाढी वाला व्यक्ति श्री सुमेर, पटवारी, पटवार हल्का सातों, तहसील मांढण, जिला कोटपूतली-बहरोड है तथा मेरे पास संदिग्ध आरोपी श्री सुमेर, पटवारी को रिश्वत में दी जाने वाली राशी 8000 रू0 की व्यवस्था नही है तथा गॉव जाकर मुझे रिश्वत की राशी का इन्तजाम करना है तथा मेरे को खेतों में फसल बुवाई भी करनी है। इसलिए अलवर नही चल सकता और रिश्वत राशी की व्यवस्था होने पर मैं ब्यूरो कार्यालय अलवर में अग्रिम कार्यवाही हेतु उपस्थित हो जाउंगा।" तत्पश्चात मन उप अधीक्षक पुलिस ने अपने पास से दिनांक 01.07.2024 की रिश्वत मांग सत्यापन की वार्ताओं का रिकार्डशुदा डिजिटल वाईस रिकार्डर को चालू करके गवाहान, परिवादी को सुनाया गया तो परिवादी द्वारा रिश्वत मांग के बताये गये उपरोक्त कथनों की ताईद हुई तथा संदिग्ध आरोपी से रिश्वत की मांग का सत्यापन होना पाया गया। चूंकि संदिग्ध आरोपी ने परिवादी को रिश्वत की राशी लेकर आज ही बुलाया है इसलिये संदिग्ध आरोपी के विरूद्ध ट्रेप कार्यवाही शीघ्र की जानी है तथा रिश्वत मांग सत्यापन के समय की उक्त रिकार्डशुदा वार्ताओं की ट्रांस्क्रिप्ट तैयार करने में समय अधिक लगेगा। अतः समय अभाव के कारण रिश्वत मांग सत्यापन की रिकार्डशुदा वार्ताओं की अभी ट्रांस्क्रिप्ट तैयार नही की जा सकती। इसलिए रिश्वत मांग सत्यापन की वार्ताओं के रिकार्डशुदा डिजिटल वाईस रिकार्डर को मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा सुरक्षित अपने कब्जे में लिया गया। डिजिटल वाईस रिकार्डर में रिकार्ड रिश्वत मांग सत्यापन की वार्ताओं की ट्रांस्क्रीप्ट परिवादी व स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष बाद में तैयार करने का निर्णय लिया जाकर समय 04.50

पी0एम0 पर गवाह श्री सचिन कुमार गुर्जर एवं श्री जिनेश के समक्ष मन् उप अधीक्षक पुलिस महेन्द्र कुमार ने परिवादी श्री राजेश को संदिग्द आरोपी श्री सुमेर, पटवारी पटवार हल्क सातों, तहसील मांढण, जिला कोटपूतली-बहरोड को रिश्वत में दी जाने वाली राशि पेश करने के लिये कहा तो परिवादी श्री राजेश ने अपने पास से 500-500 रूपये के 16 नोट कुल 8,000 रूपये निकाल कर मन् उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अलवर प्रथम, अलवर को पेश किये। उक्त नोटों के नम्बरों का विवरण फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट में अंकित करवाया जाकर उक्त नोटों के नम्बर मन् उप अधीक्षक पुलिस एवं उपरोक्त गवाहान के द्वारा पुनः चैक किये गये तो नोटां के नम्बर उपरोक्तानुसार ही पाये गये। श्री सुण्डाराम हैड कानि0 02 से मोटर साईकिल के बैग से फिनोफ्थलीन पॉउडर की शीशी निकलवायी गयी तथा जमीन पर एक साफ अखबार बिछवाकर उस अखबार पर उक्त राशी 8,000 रूपये के 500-500 के नोटो को रखकर उक्त नोटों पर श्री सुण्डाराम हैड कानि0 02 से अच्छी तरह से फिनोफ्थलीन पॉउडर लगवाया गया। परिवादी श्री राजेश की जामा तलाशी गवाह श्री जिनेश से लिवायी गयी तो परिवादी के पास कोई भी दस्तावेज/राशि/वस्तु नही रहने दी गयी। केवल उसका मोबाईल ही रहने दिया गया। तत्पश्चात परिवादी श्री राजेश के पहने हुये कुर्ते की सामने वाली बायी तरफ की जेब में उक्त फिनोफ्थलीन पॉउडर युक्त नम्बरी नोटों को श्री सुण्डाराम हैड कानि0 02 से रखवाये गये। श्री सुण्डाराम हैड कानि0 02 से फिनोफ्थलीन पॉउडर की शीशी बंद करवाकर मोटर साईकिल के बैग में वापस रखवायी गयी तथा जिस अखबार पर नोटों को रख कर फिनोफ्थलीन पॉउडर लगाया गया था, उस अखबार को जलवाया गया। उसके पश्चात श्री महेश कुमार कानि0 462 से गाडी में रखे ट्रेप बॉक्स से सोडियम कार्बोनेट पाउडर की शीषी व प्लास्टिक का एक फ्रेश पारदर्शी डिस्पोजल गिलास निकलवाकर, उस गिलास में गाडी में रखे पानी की बोतल से साफ पानी भरवाकर उसमें सोडियम कार्बोनेट का घोल तैयार करवाया जाकर उक्त घोल में श्री सुण्डाराम हड कानि0 02 की फिनोफ्थलीन युक्त हाथ की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गहरा गुलाबी हो गया जिस पर परिवादी श्री राजेश व दोनों गवाहान को समझाया गया कि यदि आरोपी कर्मचारी उक्त पॉउडर लगे नोटां को छुयेगा तो उसके हाथां में फिनोफ्थलीन पॉउडर लग जावेगा और इसी प्रकार तैयार किये गये घोल में उसके हाथ धुलवाने पर घोल का रंग गुलाबी या हल्का गुलाबी हो जायेगा जिससे यह साबित होगा कि उसने रिश्वती राशि को प्राप्त किया है। इसके बाद उक्त गिलास के गुलाबी घोल को मौके पर ही फिंकवाया गया तथा डिस्पोजल गिलास को मौके पर ही जलवाकर नष्ट करवाया गया। तत्पश्चात परिवादी श्री राजेश को हिदायत दी गयी कि वह रिश्वत देने के बाद अपने सिर पर दो बार हाथ फेर कर या मन् उप अधीक्षक पुलिस के मोबाईल पर मिस कॉल/कॉल कर ट्रेप पार्टी को गोपनीय ईशारा करें, इसके पश्चात गवाहान को हिदायत दी गई कि वे यथा सम्भव परिवादी के साथ या आस-पास रहकर परिवादी व आरोपी के मध्य होने वाली वार्तालाप को सुनने व रिश्वत के लेन-देन को देखने का यथा-सम्भव प्रयास करें। तत्पश्चात श्री सुण्डाराम हैड कानि0 02 के दोनों हाथों को साबुन एवं साफ पानी से धुलवाया गया। इसके बाद परिवादी, गवाहान एवं टै्रप पार्टी के सदस्यों के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये, मैनें भी अपने हाथ साफ पानी व साबुन से धोये। तत्पश्चात परिवादी को रिश्वत राशी लेन-देन के समय आरोपी से होने वाली वार्तालाप को रिकॉर्ड करने हेतु विभागीय डिजिटल वाईस रिकॉर्डर जिसमें दिनांक 01.07.2024 की रिश्वत मांग सत्यापन के समय की रिकार्डशुदा वार्ताओं का एस. डी. मैमोरी कार्ड Sandisk 32 GB लगा हुआ है, को चालू व बंद करने की विधि समझाकर परिवादी के कुर्ते की बगल की दाहिनी जेब में रखकर सुपुर्द किया गया तथा श्री महेश कुमार कानि0 462 को आवश्यक हिदायत दी गई कि उक्त परिवादी को रिश्वत राशी सहित आरोपी के पास भिजवाते समय उसको ब्यूरों के उक्त डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को चालू करके ही रवाना करे। तत्पश्चात नोटो पर फिनोफ्थलीन पॉउडर लगाने वाले श्री सुण्डाराम हैड कानि0 02 को मुनासिब हिदायत कर मौके से मय मोटर साईकिल के फिनोफ्थलीन पॉउडर की शीषी सहित ए0सी0बी0 कार्यालय अलवर के लिये वापस रवाना किया गया। तत्पश्चात मन उप अधीक्षक पुलिस महेन्द्र कुमार, मय स्वतन्त्र गवाहा श्री सचिन कुमार गुर्जर, श्री जिनेश व ए0सी0बी0 जाब्ता श्री नरेन्द्र कुमार, सहायक उप निरीक्षक, श्री भास्कर हैड कानि0 59, श्रीमती सुनिता हैड कानि0 148, श्री हरिश चन्द शर्मा कानि0 503, श्री महेश कुमार कानि0 462, श्री रामजीत कानि0 206 मय ट्रेप बॉक्स, लैपटॉप प्रिन्टर, यू0पी0एस0 एवं आवष्यक स्टेशनरी सामान के एक राजकीय वाहन से मय चालक श्री इन्द्रजीत के व एक प्राईवेट वाहन के तथा साथ ही परिवादी की अर्टिका कार से परिवादी श्री राजेश व श्री महेश कुमार कानि0 462 को हमराह लेकर वास्ते ट्रेप कार्यवाही कस्बा मांढण स्थित संदिग्ध आरोपी के किराये के कार्यालय के लिये समय 05.30 पी0एम0 पर डाबडवास चौक से रवाना होकर समय 05.45 पी0एम0 पर मन उप अधीक्षक मय हमराहियान के कस्बा मांढण में मोक्षधाम (श्मशान घाट) की तरफ जाने वाले रोड पर स्थित संदिग्ध आरोपी श्री सुमेर, पटवारी के किराये के कार्यालय (दुकान) के पास कस्बा मांढण पहुंचा। जहॉं पर तीनों वाहन को भीड-भाड वाली जगह पर साईड में खडा करवाकर तथा सभी को वाहनों से उतारकर व श्री महेश कुमार कानि0 462 से परिवादी का टेप रिकार्डर चालू करवाकर व संदिग्ध आरोपी द्वारा रिश्वत राशी प्राप्त करने पर निर्धारित ईशारा करने की हिदायत देकर परिवादी श्री राजेश को संदिग्ध आरोपी श्री सुमेर, पटवारी के पास उसके किराये के कार्यालय (दुकान) पर भेजा गया तथा मन उप अधीक्षक पुलिस मय ट्रेपपार्टी के अपनी-अपनी उपस्थित छुपाते हुये एवं परिवादी पर नजर रखते हुये परिवादी के ईशारे के इन्तजार में परिवादी के आस-पास मुकिम हुआ। तत्पश्चात दिनांक 04.07.2024 को समय 05.53 पी0एम0 पर परिवादी श्री राजेश पुत्र श्री सोमसिंह जाति यादव उम्र 51 साल निवासी ग्राम

धारण की ढाणी तहसील बावल जिला रेवाडी (हरियाणा) ने कस्बा माढण मे मोक्षधाम की तरफ जाने वाली रोड पर स्थित पटवार हल्का सांतो के कार्यालय (प्राईवेट दूकान) से बाहर निकलकर अपने सिर पर हाथ फेर कर रिश्वत राशि देने का निर्धारित ईशारा किया जिसको मन् उप अधीक्षक पुलिस, दोनो स्वतंत्र गवाहान एवं टीम के समस्त सदस्यो द्वारा देखा गया। परिवादी का उक्त निर्धारित ईशारा प्राप्त होने पर मन् उप अधीक्षक पुलिस उपरोक्त दोनो मौतबिरान एवं ब्यूरो टीम के समस्त सदस्यो को हमराह लेकर परिवादी के पास कस्बा माढण मे मोक्षधाम की तरफ जाने वाली रोड पर स्थित पटवार हल्का सांतो के कार्यालय (प्राईवेट दुकान) के पास पहूँचा जहाँ परिवादी से उसे सुपुर्द किया गया डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मन उप अधीक्षक पुलिस ने प्राप्त कर बंद कर अपने कब्जे में लिया तथा उक्त कस्बा माढण मे मोक्षधाम की तरफ जाने वाली रोड पर स्थित पटवार हल्का सांतो का कार्यालय (प्राईवेट दूकान) के बाहर परिवादी ने दुकान के बाहर खडे व्यक्ति जिसने परपल शर्ट व पेन्ट पहन रखी थी जिसकी तरफ ईशारा कर बताया की ये ही श्री सुमेर पटवारी है, जिन्होने अभी अभी मेरे से 8 हजार रूपये की रिश्वत राशि मांग कर अपने दाहिने हाथ से ग्रहण कर उक्त राशि को बिना गिने ही अपनी पहनी हुई शर्ट की सामने वाली बायी साईड की जेब में रख लिये है। जिस पर मन उप अधीक्षक पुलिस मय दोनो स्वतंत्र गवाहान मय ट्रेप पार्टी सदस्यों के परिवादी के बताये अनुसार परिवादी को साथ लेकर उक्त दुकान के बाहर खडे व्यक्ति के पास पहूंचे एवं उक्त व्यक्ति को अपना एवं हमाराहियान का परिचय देकर अपने आने के मन्तव्य से अवगत कराया और उसका नाम पता पूछा तो आरोपी कुछ नही बोला और घबरा गया इस पर मन उप अधीक्षक द्वारा तसल्ली देकर पुनः उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम श्री सुमेर पुत्र श्री योगेन्द्र जातिअहीर, उम्र 34 साल, निवासी ..ग्राम काठूवास तहसील व थाना माढण जिला कोटपूतली-बहरोड, हाल पटवारी पटवार हल्का सांतो, तहसील मांढण जिला कोटपूतली-बहरोड होना बताया एंव आरोपी पटवारी को पटवार हल्का सांतो के उक्त कार्यालय में अन्दर लगी हुई कुर्सी पर बैठाया जाकर परिवादी श्री राजेश से मांगी गई एवं आज उक्त मांग के क्रम में अभी ली गई रिश्वत राशि के बारे में पूछा तो बताया की श्री राजेश ने मुझे करीब 10 दिन पहले इनकी माताजी द्वारा इनके पक्ष मे किये गये रजिस्ट्रर्ड दान पत्र मूल के दस्तावेज इनके नाम नामांतरण खोलने के लिये दिये थे तथा आज अभी मेरे पास थोडी देर पहले आये थे और मुझसे इन्तकाल के बारे मे बातचीत की और इन्होन जबरदस्ती कुछ रूपये मेरी पहनी हुई शर्ट की जेब में रख दिये मैने राजेश से किसी भी प्रकार की रिश्वत की मांग नही की थी। इसने जबरदस्ती मेरी जेब में रख दिये। मैने राजेश से ना तो कोई रिश्वत की मांग की और ना ही रिश्वत ली। इस पर मौके पर उपस्थित परिवादी श्री राजेश से पूछा गया तो श्री राजेश ने बाताया की श्री सुमेर पटवारी साहब झूठ बोल रहे है। मै अभी अभी आपके निर्देषानुसार एवं इनसे हुई वार्तानुसार उक्त कार्यालय (किराये की दूकान) पर पहूंचा, तो मुझे पटवारी जी अपनी किराये की दूकान पर कुर्सी पर बैठे हुये मिले जिनसे मैने मेरे इन्तकाल के बारे में बातचीत की और मैन पटवारी जी से कहा की आपने मुझे 8000/- रूपये देने के लिये कहा था ये लो 8000/- रूपये सम्भाल लो, आपको 1000/-रूपये पहले दे दिये और 8000/- रूपये ये दे रहा हूं अब मेरा आप इन्तकाल चढा देना इस पर पटवारी जी ने कहा की एक दो दिन में चढा दूंगा इस पर मैने पटवारी जी से पूछा की कल की मिंटिंग है क्या तो पटवारी जी ने बताया की कल की मिटिंग केन्सिल हो गई है, मै तुम्हारा इन्तकाल एक दो दिन मे चढा दूंगा। इस पर पटवारी जी ने 8000/- रूपये मेरे से लेकर बिना गिने ही अपनी पहनी हुई शर्ट की बाई साईड की जेब में रख लिये इसके बाद मे उक्त दूकान से बाहर आकर मैन आपको ईशारा कर दिया। इस पर मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा आरोपी श्री सुमेर पटवारी से दोनो गवाहान एवं ट्रेप पार्टी एवं परिवादी के समक्ष ही पुनः पूछा की जब परिवादी राजेश ने आपकी जेब में जबरदस्ती रूपये रखे तो आपने इसका विरोध क्यो नही किया इस पर आरोपी चुप रहा और कुछ नही बोला। इसके बाद गवाह श्री जिनेश से आरोपी के बताये अनुसार उसकी पहनी हुई शर्ट की बायी साईड की जेब की तलाषी लिवाई गई तो गवाह ने उसमे 500-500 रूपये के कुछ नोट होना बताया जिनको गवाह से बाहर निकलवाकर दोनो गवाहान से गिनवाया गया तो 500-500 रूपये के 16 नोट कुल 8000/- रूपये होना बताया। उक्त कार्यवाही की विडियोग्राफी श्री रामजीत कानि0 206 के फोन से करवाई गई, जिसकी डीवीडी पृथक से तैयार की जावेगी। उक्त बरामद शुदा रिश्वत राशी को भी गवाह श्री सचिन गुर्जर के पास सुरक्षित रखवाये गये। तत्पश्चात मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा उपरोक्त कस्बा माढण मे मोक्षधाम की तरफ जाने वाली रोड पर स्थित पटवार हल्का सांतो को कार्यालय (प्राईवेट दूकान) पर बाहर रखे हुये कैम्पर से साफ पानी की बोतल भरवाकर श्री भास्कर हैड कानि. 59 से मंगवाया गया। ट्रैप बाक्स से दो नये साफ प्लास्टिक के पारदर्शी डिस्पोजल गिलासों को निकालकर उन्हे उक्त साफ पानी से धुलवाकर साफ करवाया गया तत्पश्चात उक्त दोनो प्लास्टिक के पारदर्शी डिस्पोजल गिलासों में साफ पानी भरकर उनमें एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर की डालकर घोल तैयार करवाया गया। उक्त घोल को उपस्थित सभी को दिखाया गया तो सभी ने घोल को रंगहीन होना स्वीकार किया। उक्त गिलासो मे से एक प्लास्टिक के पारदर्शी डिस्पोजल गिलास के घोल में आरोपी श्री सुमेर पटवारी पटवार हल्का सांतो तहसील माढण जिला कोटपूतली बहरोड के दाहिने हाथ की अंगुलियों व अगूठे को डुबोकर उनका धोवन लिया गया तो गिलास के धोवन का रंग मामूली हल्का गुलाबी हुआ, जिसे सम्बन्धितो ने देखकर गिलास के धोवन का रंग मामूली हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त गिलास के धोवन को दो साफ कांच की शीशीयों में आधा-आधा डालकर सील मुहर किया गया व चिट चस्पाकर उन पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराकर मार्क R -1 R -2 अंकित कर कब्जा पुलिस लिया गया। इसके बाद दूसरे गिलास के घोल में आरोपी श्री सुमेर पटवारी के बांये हाथ की

अंगुलियों व अगूठे को डुबोकर धोवन लिया गया तो उस गिलास के धोवन का रंग गदमैला हो गया जिसे सभी सम्बन्धितों ने देखकर गिलास के धोवन का रंग गदमेला होना स्वीकार किया। इसके बाद उक्त गिलास के धोवन को भी दो साफ काँच की शीशीयों में आधा-आधा डालकर सील मुहर किया गया व चिट चस्पा कर सभी सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराकर मार्क L -1 o L - 2 अंकित कर कब्जा पुलिस लिया गया। इसके बाद आरोपी श्री सुमेर पटवारी से परिवादी से संबंधित रिकॉर्ड के बारे में पूछा तो उसने उक्त किराये की दुकान (कार्यालय) में रखी हुई उसकी टेबिल के उपर रखे एक प्लास्टिक के फोल्डर से निकालकर मन उप अधीक्षक पुलिस को पेश कियें। उक्त रिकॉर्ड को मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा गवाह सचिन गुर्जर के पास सुरक्षित रखवाया गया जिसको पृथक से जरिये फर्द जप्त किया जावेगा। कस्बा माढण मे मोक्षधाम की तरफ जाने वाली रोड पर स्थित पटवार हल्का सांतो का कार्यालय (प्राईवेट दूकान) कस्बे में होने के कारण एवं लोगो की अधिक भीडभाड इक्टठी होने एवं कार्यवाही के लिये उपयुक्त स्थान नही होने के कारण एवं व्यवधान के मध्य नजर उक्त आरोपी के पटवार कार्यालय (प्राईवेट दुकान) से परिवादी श्री राजेश के मूल दस्तावेज के अतिरिक्त समस्त कागजात/ रिकॉर्ड को उसी अवस्था में छोडकर उक्त कार्यालय की शटर स्टाफ की सहायता से बंद करवाया जाकर उक्त कार्यालय पर ताला लगवाकर चाबी गवाह सचिन गुर्जर के पास तहसील माढण के राजस्व अधिकारियों को सुपुर्द करन हेतु सुरक्षित रखवाई गई। इसके बाद उक्त आरोपी को सरकारी बोलरो मे बैठाकर मय स्टाफ एवं दोनो गवाहान के मय सरकारी व प्राईवेट वाहन से वहाँ से रवाना होकर पुलिस थाना माढण जिला कोटपूतली बहरोड पर पहुंचे जहां पर थाना परिसर में दोनो वाहनो को खडा करवाया जाकर आरोपी को वाहन से उतारकर थाना परिसर में जहां पर श्री रामनिवास हैड कानि. 148 उपस्थित मिले जिनको कार्यवाही से अवगत कराकर अग्रिम कार्यवाही हेतु स्थित थानाधिकारी कक्ष में श्री सुमेर पटवारी, परिवादी श्री राजेश व उपरोक्त दोनो गवाहान एवं ब्यूरो टीम को उक्त कक्ष में बैठाया गया। तत्पश्चात आरोपी श्री सुमेर पटवारी की शर्ट से बरामद षुदा 8000/- रूपये की रिश्वत राशी जो मौके पर ही गवाह श्री सचिन गुर्जर के पास सुरक्षित रखवाई गई थी जिसको निकलवाकर दोनो गवाहान से उक्त बरामदशुदा 500-500 रूपये नोटो की राशि को गिनने एंव नोटो की पहचान करने हेतु कहा गया दोनो गवाहान ने बरामद षुदा 500-500 रूपये के सभी नोटो के नम्बरो का मिलान पूर्व की मुर्तिब शुदा फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट मे अंकित नोटो के नम्बरो को फर्दानुसार हुबहू 8000/- रूपये रिश्वत राशी के ही होना बताया। बरामद शुदा उक्त नोटो का विवरण फर्द बरामदगी नोट में अंकित किया जाकर उक्त बरामद शुदा 8,000/- रूपये के नोटो के नम्बरो का उपरोक्त नम्बरो से पुनः दोनो गवाहान से मिलान करवाकर नोटो के साथ एक कागज की चिट पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर उक्त हस्ताक्षरित चिट एवं नोटों को एक पीले रंग के कागज के लिफाफे मे रखकर लिफाफे पर सम्बन्धितो के हस्ताक्षर करवाकर उक्त रिश्वत राशि के लिफाफे पर मार्क TM अंकित एवं सीलचिट कर वजह सबूत कब्जे पुलिस लिया गया। तत्पश्चात श्री भास्कर हैड कानि. से बाजार से एक नई टी शर्ट मंगवाई जाकर आरोपी श्री सुमेर के शरीर पर पहनी हुई शर्ट जो शालीनतापूर्वक उतरवाई गई और नई टी शर्ट पहनाई गईं। तत्पश्चात ट्रैप बाक्स मे से एक फ्रेश नये प्लास्टिक के पारदर्शी डिस्पोजल गिलास को निकलवाया जाकर उसे साफ पानी से धुलवाकर साफ करवाया गया तत्पश्चात उक्त गिलास मे साफ पानी भरकर उसमे सोडियम कार्बोनेट पाऊडर डालकर उसका घोल तैयार करवाया गया एवं उपस्थित सभी को दिखाया गया तो सभी ने घोल को रंगहीन होना स्वीकार किया। उक्त घोल के गिलास मे आरोपी श्री सुमेर के शरीर से षालीनतापूर्वक उतरवाई गई शर्ट की बायी साईड की सामने की जेब जहां से रिश्वत राशि बरामद हुई उक्त जेब को उलटवाकर उसको तैयार करवाये गये घोल के गिलास मे डुबो कर उसका धोवन लिया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी हुआ। जिसे हाजरीन ने देखकर गिलास के धोवन का रंग हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त गिलास के धोवन को दो साफ कांच की शीशीयों में आधा-आधा डालकर सील मुहर किया गया व चिट चस्पाकर उन पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराकर मार्क S -1 व S -2 अंकित कर कब्जा पुलिस लिया गया। उक्त शर्ट की जेब को अच्छी तरह से पंखे की हवा मे सुखाकर उस जेब पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शर्ट को एक कपडे की थैली मे सुरक्षित रखवाकर उस थैली पर नियमानुसार संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर सील्ड कर मार्क S से अंकित कर वजह सबूत कब्जे लिया गया। तत्पश्चात परिवादी से पूर्व में प्राप्त डिजिटल वाईस रिकार्डर को चलाकर सुना गया तो उसमे रिश्वत राशि लेन-देन के समय की वार्तालाप रिकॉर्ड होना पाई गई जिसकी पृथक से फर्द ट्रांसक्रिप्ट एवं डीवीडी तैयार करने की कार्यवाही अमल मे लाई जावेगी। परिवादी श्री राजेश एवं आरोपी श्री सुमेर पटवारी पटवार हल्का सांतो तहसील माढण जिला कोटपूतली बहरोड को आमने सामने करके आपस का पूर्व में कोई रूपयो का पुराना उधार का लेन देन तो बकाया होने या कोई आपसी रंजिश होने के बारे में पूछा गया तो सभी ने आपसी रंजिश या रूपयो का पुराना उधार का लेन देन बकाया होने से स्पष्ट मना किया। मन अप अधीक्षक पुलिस दौराने कार्यवाही विधिक प्रावधानो के अनुसार मौके पर कार्यवाही की करवाई गई विडियोग्राफी की डीवीडी तैयार कर संलग्न कार्यवाही की गई। तत्पश्चात आरोपी श्री सुमेर के कब्जे से बरामद शुदा परिवादी के कार्य से सम्बन्धित रजिस्टर्डर दानपत्र की सत्यापित छायाप्रतियों को जरिये फर्द जब्त किया गया तथा घटना स्थल का मौका मुआयना कर नक्षा मौका तैयार कर शामिल कार्यवाही किया गया। तत्पश्चात समय 11.45 पी0एम0 पर आरोपी श्री सुमेर, पटवारी पटवार हल्का सातों, तहसील मांढण, जिला कोटपूतली-बहरोड को हस्बकायदा जरिये फर्द अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संषोधित 2018) के तहत गिरफ्तार किया गया। तत्पश्चात दिनांक 05.07.2024 को मन उप अधीक्षक पुलिस हमराह

लाये दोनों वाहनों से मय दोनों स्वतन्त्र गवाहान, परिवादी व गिरफ्तारषुदा आरोपी श्री सुमेर, पटवारी पटवार हल्का सातों मय हमराही ए0सी0बी0 स्टाफ के मय ट्रेप बॉक्स, लैपटॉप प्रिन्टर, यू0पी0एस0 मय ट्रेप कार्यवाही में जब्त/सीलशुदा वजह सबुतां सहित बाद सम्पन्न कार्यवाही समय 12.15 ए0एम0 पर मौका पुलिस थाना मांढण से रवाना होकर समय 01.40 ए0एम0 पर ए0सी0बी0 कार्यालय अलवर पहुंचकर गिरफ्तारशुदा आरोपी को ए0सी0बी0 स्टाफ की निगरानी में कार्यालय में बैठाया गया तथा कार्यवाही में जब्त/सीलशुदा बजह सबुतों को, ट्रेप बॉक्स, लैपटॉप प्रिन्टर, यू0पी0एस को कार्यालय कक्ष में रखवाया गया तथा दोनों गवाहान एवं परिवादी को कार्यालय कक्ष में बैठाया गया। तत्पश्चात गिरफ्तारशुदा आरोपी श्री सुमेर, पटवारी का ए0सी0बी0 जाब्ता की निगरानी में स्वास्थ्य परीक्षण करवाया जाकर रात्रि सुरक्षार्थ पुलिस थाना शिवाजी पार्क अलवर की हवालात में बन्द करवाया गया। तत्पश्चात दिनांक 05.07.2024 को समय 07.30 ए0एम0 पर दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष परिवादी की मौजूदगी में परिवादी श्री राजेश एवं आरोपी श्री सुमेर, पटवारी पटवार हल्का सातों, तहसील मांढण, जिला कोटपूतली-बहरोड के मध्य दिनांक 01.07.2024 को रिश्वत मांग सत्यापन के समय हुई वार्ताओं के रिकार्डशुदा डिजिटल वाईस रिकार्ड को विभागीय लैपटॉप में जोडकर चालूकर उक्त में रिकार्डशुदा वार्ताओं की ट्रांसक्रिप्ट श्री रामजीत कानि0 206 से टाईप करवाकर तैयार की गई। उपरोक्त वार्ताओं में परिवादी श्री राजेश द्वारा अपनी आवाज व आरोपी श्री सुमेर, पटवारी पटवार हल्का सातों, तहसील मांढण, जिला कोटपूतली-बहरोड की आवाज की पहचान की गई। उक्त सभी रूपान्तरण वार्तालाप की परिवादी के बतायेनुसार हिन्दी रूपान्तरण किया गया तथा उक्त सभी रूपान्तरण वार्तालाप की संबंधित वॉईस क्लिप से मिलान किया गया तथा वार्ता रूपान्तरण को दोनो गवाहान तथा परिवादी ने सही होना स्वीकार किया। रिकार्ड वार्ता की डीवीडी बनवाने हेतु तीन खाली डीवीडी मंगवायी जाकर तीनों को खाली होना सुनिश्चित कर डिजिटल वाईस रिकार्डर में रिकॉर्डशुदा उक्त वार्ताओं की लैपटॉप की सहायता से बारी-बारी से तीन डीवीडी तैयार की जाकर, बाद मिलान सही होना सुनिश्चित कर क्रमषः तीनों डीवीडीयों पर मार्क "ए-1", मार्क "ए-2" एवं मार्क "ए-3" अंकित कर दोनों गवाहान तथा परिवादी श्री राजेश के हस्ताक्षर करवाकर डीवीडी मार्क "ए-1" व मार्क "ए-2" को पृथक-पृथक प्लास्टिक के डीवीडी कवर में सुरक्षित रखकर दोनों को सफेद कपडे़ की थैलीयों में पृथक-पृथक सील मुहर किया जाकर कपड़े की थैलीयों पर भी मार्क "ए-1" व मार्क "ए-2" अंकित कर गवाहान एवं परिवादी के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे ए0सी0बी0 लिया गया तथा डीवीडी मार्क "ए-3" को अनुसंधान हेतु शामिल पत्रावली किया गया। उक्त प्रक्रिया से डिजिटल वाईस रिकॉर्डर के एस.डी. मैमोरी कार्ड Sandisk 32 GB के फोल्डर नं0 01 में रिकॉर्ड शुदा उक्त वार्ताओं की जो डीवीडी बनाई गई है उनमें किसी भी प्रकार की छेडछाड एवं कांट-छांट नही की गई। तत्पश्चात समय 10.00 ए0एम0 पर दोनों गवाहान के समक्ष परिवादी की मौजूदगी में परिवादी श्री राजेश एवं आरोपी श्री सुमेर, पटवारी पटवार हल्का सातों, तहसील मांढण, जिला कोटपूतली-बहरोड के मध्य दिनांक 04.07.2024 को रिश्वत लेन-देन के समय हुई वार्ताओं के रिकार्डशुदा डिजिटल वाईस रिकार्ड को विभागीय लैपटॉप में जोडकर चालूकर उक्त में रिकार्डशुदा वार्ताओं की ट्रांसक्रिप्ट श्री रामजीत कानि0 206 से टाईप करवाकर तैयार की गई। उपरोक्त वार्ताओं में परिवादी श्री राजेश द्वारा अपनी आवाज व आरोपी श्री सुमेर, पटवारी पटवार हल्का सातों, तहसील मांढण, जिला कोटपूतली-बहरोड की आवाज की पहचान की गई। उक्त सभी रूपान्तरण वार्तालाप की परिवादी के बतायेनुसार हिन्दी रूपान्तरण किया गया तथा उक्त सभी रूपान्तरण वार्तालाप की संबंधित वॉईस क्लिप से मिलान किया गया तथा वार्ता रूपान्तरण को दोनो गवाहान तथा परिवादी ने सही होना स्वीकार किया। रिकार्ड वार्ता की डीवीडी बनवाने हेतु तीन खाली डीवीडी मंगवायी जाकर तीनों को खाली होना सुनिश्चित कर डिजिटल वाईस रिकार्डर में रिकॉर्डशुदा उक्त वार्ताओं की लैपटॉप की सहायता से बारी-बारी से तीन डीवीडी तैयार की जाकर, बाद मिलान सही होना सुनिश्चित कर क्रमषः तीनों डीवीडीयों पर मार्क "बी-1", मार्क "बी-2" एवं मार्क "बी-3" अंकित कर दोनों गवाहान तथा परिवादी श्री राजेश के हस्ताक्षर करवाकर डीवीडी मार्क "बी-1" व मार्क "बी-2" को पृथक-पृथक प्लास्टिक के डीवीडी कवर में सुरक्षित रखकर दोनों को सफेद कपडे़ की थैलीयों में पृथक-पृथक सील मुहर किया जाकर कपड़े की थैलीयों पर भी मार्क "बी-1" व मार्क "बी-2" अंकित कर गवाहान एवं परिवादी के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे ए0सी0बी0 लिया गया तथा डीवीडी मार्क "बी-3" को अनुसंधान हेतु शामिल पत्रावली किया गया । उक्त कार्यवाही मे उपयोग लिये गये उक्त डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर मे लगे एस.डी. मैमोरी कार्ड Sandisk 32 GB के फोल्डर नं. 01 मे दिनांक 01.07.2024 को परिवादी व आरोपी श्री समेर, पटवारी के मध्य रिश्वत मांग सत्यापन के समय हुई वार्ता एवं फोल्डर नं0 2 में दिनांक 04.07.2024 को परिवादी व आरोपी श्री सुमेर, पटवारी के मध्य रिश्वत लेन-देन के समय हुई वार्ता रिकार्ड की हुई है। उक्त वार्ताओं के मूल एस.डी. मैमोरी कार्ड Sandisk 32 GB को सुरक्षित हालात मे यथावत उक्त वॉइस रिकार्डर से निकाल कर उसे एक सफेद कागज की चिट जिस पर सभी संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर उस, एस.डी. मैमोरी कार्ड Sandisk 32 GB के साथ एक खाली माचिस की डिब्बी मे सुरक्षित रखा गया एवं उक्त माचिस की डिब्बी को एक सफेद कपडे की थैली मे सुरक्षित हालात मे रखकर थैली को सीलचिट कर उस पर मार्क SD (एसडी) अंकित कर वजह सबूत कब्जे ए0सी0बी0 लिया गया। उक्त प्रक्रिया से डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड शुदा वार्ताओं की जो डीवीडी बनाई गई है उनमें किसी भी प्रकार की छेडछाड एवं कांट-छांट नही की गई है। बाद कार्यवाही उपयोग ली गई ब्राससील को समय 11.30 ए0एम0 पर जरिये फर्द तुडवाकर नष्ट किया गया। जब्तशुदा समस्त आर्टिकल्स को प्रभारी

मालखाना को सुपुर्द कर जमा चौकी मालखाना करवाया गया। बाद कार्यवाही दिनांक 05.07.2024 को समय 11.50 ए0एम0 पर परिवादी एवं स्वतन्त्र गवाहान से सम्बन्धित कोई कार्य शेष नही होने से परिवादी श्री राजेश एवं दोनों गवाहान को ब्यूरों कार्यालय से रूखसत किया गया। उक्तानुसार सम्पन्न की गई कार्यवाही एवं मौके के हालात से आरोपी श्री सुमेर, पटवारी पटवार हल्का सातों, तहसील मांढण, जिला कोटपूतली-बहरोड द्वारा बैहसियत लोक सेवक कार्यरत रहते हुये अपनी पदीय स्थिति का दुरूपयोग कर अपने लोक कर्त्तव्यों के निर्वहन मे भ्रष्टतम आचरण अपनाकर परिवादी श्री राजेश से दिनांक 01.07.2024 को रिश्वत की माँग के सत्यापन के दौरान परिवादी श्री राजेश की माताजी श्रीमती छोटी देवी द्वारा ग्राम बीघाना जाट, तहसील मांढण में स्थित खसरा नं0 409, 410, 413, 441, 442, 440 की अपनी कृषि भूमि का दिनांक 28.05.2024 को उप पंजीयक कार्यालय मांढण में परिवादी के पक्ष में निष्पादित करवाये गये रजिस्टर्ड दानपत्र में उल्लेखित उक्त कृषि भूमि का राजस्व रिकॉर्ड मे नामान्तकरण परिवादी श्री राजेश के पक्ष में दर्ज करने की एवज मे परविदी से 10,000 /- रूपये की रिश्वत राशि की मांग कर 8,000 रू0 रिश्वत प्राप्त करने के लिये सहमत होना तथा परिवादी से पूर्व में भी 1,000 रू0 रिश्वत के प्राप्त किये जाना स्वीकार करना एवं अपनी उक्त माँग के क्रम मे दौराने ट्रेप कार्यवाही दिनांक 04.07.2024 को परिवादी श्री राजेश से 08 हजार रूपये की रिश्वत राशी प्राप्त करने पर रंगे हाथों पकडे जाने एवं परिवादी से प्राप्त की गई 08 हजार रूपये की रिश्वत राशि दौराने ट्रेप कार्यवाही उक्त आरोपी की पहनी हुई शर्ट की सामने की बायी जेब से बरामद होने पर आरोपी श्री सुमेर, पटवारी, पटवार हल्का सातों, तहसील मांढण, जिला कोटपूतली-बहरोड का उक्त कृत्य अपराध अर्न्तगत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधन 2018) में प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है। अतः आरोपी श्री सुमेर पुत्र श्री योगेन्द्र, जाति अहीर, उम्र 34 साल, निवासी काठूवास, तहसील व थाना मांढण, जिला कोटपूतली-बहरोड, हाल पटवारी पटवार हल्का सातों, तहसील मांढण, जिला कोटपूतली-बहरोड के विरूद्ध उपरोक्त धारा में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार कर वास्ते क्रमांकन श्रीमान महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों, राजस्थान जयपुर की सेवामे सादर प्रेषित है। (महेन्द्र कुमार) उप अधीक्षक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अलवर प्रथम, अलवर। ....कार्यवाही पुलिस......... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री महेन्द्र कुमार, उप पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अलवर प्रथम ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री सुमेर पुत्र योगेन्द्र उम्र 34 साल निवासी काठूवास, तहसील व थाना मांढण, जिला कोटपूतली-बहरोड़, हाल पटवारी, पटवार हल्का सातों, तहसील मांढण जिला कोटपूतली-बहरोड़ के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार जारी की गई। अनुसंधान अधिकारी श्री नवल किशोर पुलिस उप अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो दौसा को मनोनीत किया गया। उक्त की रोजनामचा आम रपट 669 पर अंकित है। (विशनाराम) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,राज.,जयपुर क्रमांक 688-91 दिनांक 05.07.2024 प्रतिलिपिः.सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। 1 विशिष्ट न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, अलवर। 2 जिला कलक्टर कोटपूतली-बहरोड़। 3 उप महानिरीक्षक पुलिस, द्वितीय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर । 4 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अलवर -प्रथम । पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,राज.,जयपुर

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** NAVAL KISHORE MEENA **Rank (पद):** उप अधीक्षक पुलिस/पुलिस उपाधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Vishanaram
Location: Rajasthan,IN
Date: 05/07/2024 19:2

Name(नाम): Vishanaram

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

N.C.R.B/एन.सी.आर.बी

I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1990				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)